न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 763/2019

निशान सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति जट सिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 स्वर्ण सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जट सिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2 डीसी सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति जट सिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3 कुलविन्द्र कौर पत्नी स्वर्ण सिंह जाति जट सिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4 राजवीर कौर पुत्री स्वर्ण सिंह पत्नी जाति जट सिख निवासी केवलावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
5 रसदीप कौर पुत्री स्वर्ण सिंह पत्नी जाति जट सिख निवासी केवलावांली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
6 किरणपाल कौर पुत्री स्वर्ण सिंह पत्नी जाति जट सिख निवासी गांव गंगोगौरी तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–
1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश कुमार सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)
2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 1 ता 6)
3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 31/10/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 23 के एस डी जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 39/36 प.न. 78/102 मु.न. 4 कि.न. 17,18,22 ता25 में 1.075 है., प.न. 79/102 मु.न. 5 कि.न. 21 ता 25 में 0.924 है. नहरी, प.न. 80/102 मु.न. 6 कि.न. 21ता23 में 0.329है.नहरी, प.न. 85/103 मु.न. 13 कि.न. 9 ता 12,20,21 में 1.303 है.नहरी, प.न. 84/103 मु.न. 14 कि.न. 6, 15 ता 17, 24,25 में 1.417 है. नहरी मय गे.मु. रासता, प.न. 83/103 मु.न. 15 कि.न 1,2,3,8ता 13, 18 ता 23 में 3.175 है. नहरी मय गे.मु. रासता, प.न. 82/103 मु.न. 16 कि.न. 1 ता 25 में 5.034 है. नहरी मय गे.मु., प.न. 80/103 मु.न. 18 कि.न. 1 ता 3/1, 9 ता 12,19 ता 22 में 2.656 है.नहरी, प.न. 79/103 मु.न. 19 कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. नहरी मय खाला, प.न. 78/103 मु.न. 20 कि.न. 1 ता 19, 22 ता 25 में 5.819 है. नहरी मय गे.मु. रासता, प.न. 78/104 मु.न. 27 कि.न .2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 में 5.060 है. नहरी मय गे.मु. रासता, खाला, प.न. 79/104 मु.न. 28 कि.न. 1 ता 15,19ता21 में 4.554 है. नहरी मय खाला, प.न. 83/104 मु.न. 32 कि.न .3 में 0. 253 है. , प.न. 85/104 मु.न. 34 कि.न. 1,2,8 ता 12,16,24,25 में 2.530 है.नहरी, प.न. 86/104 मु.न. 35 कि.न. 7 ता 14,17ता 23 में 3.795 है.नहरी, प.न. 85/105 मु.न. 47

नहरी मय गे.मु.रास्ता आराजी में से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.935 है. आराजी खातेदारी दर्ज कागजातमाल है। नकल जमाबदी संलग्नवाद पत्र है।वादी एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है एव वादाधीनआराजी विरासतन भूमि है जो कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 22 के एसडी व चक 23 के एस डी में 35 बीघा व पंजाब राज्य में आराजी दर्ज कागजात माल है वादी एव प्रतिवादीगण हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कूल से शासित है जहां प्रत्येक सन्तान को सहदायिकी सम्पति में जन्म से कानूनन हक अधिकार है , प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी का वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो चूकाहै एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार वादी को प्रतिवादीसंख्या 1 के नाम दर्ज वादाधीन 1.935 है. आराजी प्राप्त हुयी है एव प्रतिवादी संख्या 2 को पंजाब राज्यमें आराजी प्राप्त हुयी है एव प्रतिवादी सख्या 1 को स्वंय के नामदर्ज अन्य खातों की 35 बीघा आराजी प्राप्त हुयी है एव इसी अनूसार वादी एव प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को काश्त करते आ रहे है। वादी के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त में प्राप्त आराजी को वादी मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादाधीन आराजी वादी के नाम से पारिवारिक बंटवारानूसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादी को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने मे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्वरिकॉर्ड मे दर्ज नही होने के कारण वादी को प्रतिवादीगण के द्वारा अपने हक हिस्सा में आयी आराजी से बेदखल किये जाने का अंदेशा लगा रहता है जिस कारण वादी अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को मन लगाकर काश्त कर पाने में असमर्थ है इसलिए वादी अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त में प्राप्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का कानूनन हक अधिकारी है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादी मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि चक 23 के एस डी जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 39/36 में दर्ज कुल खाता 49.815 है. नहरी मय गे.मु.रास्ता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.935 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवउक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 कानाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ , राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादी के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादी एव प्रतिवादी के मध्य परिवारिक बंटवारा हुआ है एंव वादी एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादी एव प्रतिवादी ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव उक्त आराजी के अलावा अन्य चकों में आराजी दर्ज कागजात होना स्वीकार किया है, एव वादी द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है ,एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा वादी की कब्जा

दस्तावेजी साक्ष्यों, ईकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 23 के एस डी जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 39/36 में दर्ज कुल खाता 49.815 है. नहरी मय गे. मु.रास्ता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.935 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता संख्या 39/36 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/10/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 763/2019

निशान सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति जट सिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 स्वर्ण सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जट सिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 डीसी सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति जट सिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 कुलविन्द्र कौर पत्नी स्वर्ण सिंह जाति जट सिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 राजवीर कौर पुत्री स्वर्ण सिंह पत्नी जाति जट सिख निवासी केवलावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ

5 रसदीप कौर पुत्री स्वर्ण सिंह पत्नी जाति जट सिख निवासी केवलावंली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ

6 किरणपाल कौर पुत्री स्वर्ण सिंह पत्नी जाति जट सिख निवासी गांव गंगोगौरी तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार सिहाग,राकेश कुमार सिहाग वकील वादी मिन जामिन मुद्दई श्री रजनीकान्त वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 23 के एस डी जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 39/36 में दर्ज कुल खाता 49.815 है. नहरी मय गे.मु.रास्ता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.935 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता संख्या 39/36 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 31/10/19 को जारी किया गया।

31/10/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.11.11 10:56:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: